

मोड़ने का जो प्रयत्न उन्होंने किया है, वह भी असफल प्रतीत होता है। उक्त क्षेत्र में यमुना की बाढ़ आ गई है और नदी के पानी ने खरबूजे और करले की खेती करने वाले किसानों की भूमि और उनकी भोंपड़ियों को चारों तरफ से घेर लिया है। यमुना नदी का तेज बहाव अभी भी खेतों को काट रहा है और फसलों को बरबाद कर रहा है।

बाढ़ नियंत्रण विभाग ने फसलों की क्षतिपूर्ति के लिए किसानों को मुआवजा देने की कार्यवाही की है, लेकिन एक तो इसमें बहुत थोड़े किसानों को लिया गया है और दूसरे मुआवजे की रकम काफी कम रखी गई है और मुआवजा देने की कार्यवाही में काफी देर की जा रही है। बहुत से किसानों को, जिनकी फसल बराबर हुई है, उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, इससे वहां बड़ा असंतोष है। साथ ही साथ बाढ़ नियंत्रण के कर्मचारी इन किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं और उनके साथ मानवीय सलूक नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि अपनी भोंपड़ियों तक आने जाने के लिए यमुना और उसकी उप-धाराओं को पार करने के लिये वे नाँका भी उन किसानों को नहीं देते।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन किसानों की क्षति का ठीक प्रकार से अन्दाजा लगाया जाए। इनको मुआवजे की रकम बाजार भाव से दी जाये तथा यह रकम उनको शीघ्र दी जाए ताकि जिन लोगों की खेती बरबाद हो गई है, वह मुआवजा लेकर अपने घरों को वापस जा सकें। साथ ही साथ वहां खेती करने वाले किसानों के लिये यमुना और उसकी उप-धाराओं को आर-पार करने के लिये नाँका की व्यवस्था की जाये। वहां सस्ते गल्ले और मिट्टी के तेल की दुकान खोली जाये तथा उनकी चिकित्सा के लिये चलते-फिरते हस्पताल भेजे जायें।

(vii) Measures for assistance to small and regional newspapers.

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर):
उपाध्यक्ष महोदय, जिला स्तर पर प्रकाशित होने वाले छोटे और भाषायी समाचार-पत्रों की जो दुर्दशा इस समय हो रही है,

वैसी पहले कभी नहीं थी। दिन-प्रतिदिन कागज और छपाई के दाम बढ़ रहे हैं। समाचार-पत्रों के रजिस्ट्रार के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड का अध्ययन करने से पता चलता है कि जिला स्तर पर प्रकाशित होने वाले कई समाचार-पत्र एक दो अंक निकलने के बाद ही बन्द हो जाते हैं। इसका प्रमुख कारण यही है कि सरकार द्वारा लघु समाचार-पत्रों को उचित सहायता नहीं दी जाती है। लघु समाचार-पत्रों को छोटे उद्योगों की श्रेणी में रखा जाना चाहिये।

यह दुर्भाग्य का विषय है कि संचार के सभी माध्यम या तो सरकार के नियंत्रण में हैं या बड़े-बड़े उद्योग समूहों के नियंत्रण में हैं। लोकतंत्र की सुरक्षा के लिये यह अति-आवश्यक है कि छोटे और भाषायी पत्रों को सब प्रकार की सरकारी सुविधा प्रदान की जाये।

1. सरकार को चाहिये कि लघु समाचार-पत्रों को प्रेस लगाने के लिये एक लाख रुपये तक की राशि आसान शर्तों पर दीर्घकालीन ऋण के रूप में दी जाये।

2. छोटे अखबारों को लघु उद्योग मानकर उन्हें सभी केन्द्र शासित राज्यों व सभी राज्य सरकारों द्वारा वारियता के आधार पर प्रेस लगाने के लिये औद्योगिक शैड या रियायती दर पर भूमि आबंटित की जाये।

3. छोटे अखबारों को सरकारी विज्ञापन देने के लिये न्यूनतम अवधि को (पत्र प्रकाशन के बाद) चार महीने से घटाकर एक महीना किया जाये।

4. सरकारी विज्ञापन की कुल निर्धारित राशि का एक उचित भाग लघु समाचार-पत्रों के लिए सुरक्षित किया जाये।

5. लघु समाचार-पत्रों को जो डाक-शुल्क देना पड़ता है उसमें कमी की जाये। वह शुल्क वर्तमान शुल्क के आधे से अधिक नहीं होना चाहिये।

(viii) Inclusion of Nepali language in the Eighth Schedule to the Constitution.

SHRI ANANDA PATHAK (Darjeeling): Sir, under rule 377, I would like to mention the following matter of urgent public importance in the House:

A large number of Nepali-speaking people are living in our country since long. These people as well as several organisations are demanding the recognition and inclusion of the Nepali language in the Eighth Schedule of the Constitution for a long time. The Congress(I) Party in the Centre assured that the Central Government was considering the demand to include the Nepali language in the Eighth Schedule, but so far nothing has been achieved. It is still lying on the paper. The Sahitya Academy also recognise Nepali as a modern language of India.

In West Bengal, the Ruling Front Government have fulfilled the aspirations of the Nepalese by giving recognition to the Nepali language in the State. Not only the West Bengal Government recognised the Nepali language, but they have started using the language for official purposes also. The West Bengal Legislative Assembly passed two Resolutions and urged upon the Central Government to recognise the Nepali language and include it in the Eighth Schedule of Constitution.

The inclusion of this language in the Eighth Schedule will fulfil one of the major aspirations of the Nepali speaking people residing in West Bengal, Sikkim and other parts of the country and will accelerate their cultural and literary advancement.

Under these circumstances, I urge upon the Government to take necessary steps in this matter and fulfil the legitimate demand of the Nepali-speaking people without further delay.

I also demand that the Minister concerned make a statement in the House in this regard as early as possible.

15 hrs.

DR. KARAN SINGH (Udhampur): Sir, Shri Venkatasubbaiah, while replying to my Bill for inclusion of the Nepali language in the Eighth Schedule assured the House that the Prime Minister was seized of the matter. Months have passed but we have not heard anything about this.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Madhukar.

(ix) Need for making inquiry into the dacoity in Assam Mail on 15th March, 1982 Payment of compensation to the looted passengers and taking safety measures on the railways.

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) :
उपाध्यक्ष महोदय, मैं दिनांक 15-3-82 को असम मेल ट्रेन में अपने भतीजे के साथ मुजफ्फरपुर से दिल्ली के लिए यात्रा कर रहा था। मुजफ्फरपुर से ही एक प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी का संयुक्त रेल डिब्बा मॉर्ये एक्सप्रेस में जोड़ दिया गया, जो कि बरौनी में आने पर असम मेल में जोड़ दिया गया। प्रथम श्रेणी में भी काफी यात्री थे और दूसरी श्रेणी में भारी भीड़ थी। गाड़ी बरौनी से चली और बरौनी तथा मोकामा के बीच में ही डकैतों के एक जत्थे ने, जो करीब पंद्रह थे, द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में घुस कर पिस्टल और छुरे दिखा कर करीब सत्तर के आस-पास यात्रियों के जेबरात, घड़ियां तथा नकद रुपये को लूट लिया। लूट का सामान लाखों में रहा होगा। लोग बिलखते रहे, हो-हल्ला करते रहे, राते-कलपते रहे, लेकिन पुलिस के कोई सिपाही वहां फटक नहीं पाए। हमारे भतीजे के हाथ की घड़ी भी डकैतों ने छीन ली।

रेल-यात्रा बढ़ती हुई डकैतियों के कारण अब बिलकुल सुरक्षित नहीं रह गई है। इससे जन-जीवन पर भयंकर प्रभाव पड़ रहा है। मेरी सरकार से मांग है कि असम मेल में हुई 15 मार्च की रात की डकैती की पूरी छान-बीन कराई जाए तथा दोषियों को सजा दिलाई जाए। मुझे संदेह है कि इसमें रेल अधिकारी भी भागीदार हैं।